



2026:AHC: 26622-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 1219/2016

कमलेश उर्फ खरबार

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: अरविंद कुमार कुशवाहा, हेमंत कुमार दुबे, पूजा, राजीव कुमार सिंह परमार
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्रा-।

1- यह आपराधिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी., कुशीनगर, पडरौना द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 279/2012 अंतर्गत धारा 363, 366 और 376 भा.द.सं. से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 205/2012 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16/18.01.2016 के विरुद्ध दायर की गई है। इस वाद में, अपीलार्थी को धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास; धारा 366 भा.द.सं. के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास; और धारा 376(2)(एफ) भा.द.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास और 50,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में 12 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्ड दिया गया था। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

2- दिनांक 29.6.2012 को लगभग शाम 6:00 बजे को एक घटना घटित होने पर, अगले दिन अर्थात् 30.6.2012 को एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. में प्रथम सूचनादाता, जो पीड़िता का पिता था, द्वारा यह अभिकथन किया गया था कि पीड़िता, जिसकी आयु 6 वर्ष थी, अपने दरवाजे पर खेल रही थी और एक अभियुक्त कमलेश उर्फ खरबार उसे उठा ले गया था और जब उसने अपनी बेटी अर्थात् पीड़िता की चीख सुनी, तब उसने उसे अभियुक्त से छुड़ाया और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके बाद पीड़िता ने उसे घटित घटना के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसका अंतःवस्त्र उतार दिया था और उसके साथ कुछ गलत किया था। उसने एफ.आई.आर. में यह भी कहा था कि जब कमलेश अभियुक्त पीड़िता को ले जा रहा था, तब उसकी पत्नी विद्यावती और उसके भाई मदन ने उसे ले जाते हुए देखा था। इस प्रकार उसने कार्यवाही की प्रार्थना की थी।

3- तत्पश्चात, पुलिस सक्रिय हुई और अंतःवस्त्र बरामद किया और उसकी एक फर्द बरामदगी तैयार की गई जिसे प्रदर्शक-क 2 के रूप में प्रदर्शित किया गया। पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण 30.6.2012 को ही किया गया था। एक्स-रे द्वारा पीड़िता की आयु निर्धारित की गई थी। पीड़िता की एक पूरक चिकित्सा रिपोर्ट भी 30.6.2012 को तैयार की गई थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि हाइमन खिंचा हुआ था और ऐसा प्रतीत होता था कि बलात्कार का प्रयास किया गया था। योनि स्मीयर भी लिया गया था और एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी कि शुक्राणुओं की उपस्थिति के संबंध में यह नकारात्मक थी। हालांकि, अंतःवस्त्र की एफएसएल रिपोर्ट से पता चला कि अंतःवस्त्र पर शुक्राणु मौजूद थे।

4- विवेचना पूर्ण होने पर, पुलिस ने अपना आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और उसके बाद न्यायालय ने 14.2.2013 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376/511 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए। तत्पश्चात 28.7.2015 को धारा 363 भा.द.सं. और 366 भा.द.सं. के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप भी विरचित किए गए।

5- अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 अभियोजन साक्षियों, यथा छोटे लाल, 'एक्स', विद्यावती, सुभाष जी वर्मा, शंभू नाथ, डॉ. निशांत आब्दी, डॉ. अब्दुल कलाम और देवेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को परीक्षित किया गया।

6- पी.डब्ल्यू.-1 छोटे लाल पीड़िता के पिता थे और उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में निरंतर यह प्रस्तुत किया है कि जब अभियुक्त कमलेश पीड़िता को ले जा रहा था, तब उनकी पत्नी और उनके भाई ने उसे ले जाते हुए देखा था। प्रति-परीक्षा में, वह अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए बयानों पर अडिग रहे। हालांकि, प्रति-परीक्षा में उन्होंने कहा था कि अंतःवस्त्र पर कोई रक्त आदि नहीं था। बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रति-परीक्षा में उन्होंने निरंतर वही बताया जो उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7- पी.डब्ल्यू.-2 'एक्स' स्वयं पीड़िता है। यह परीक्षण करने के बाद कि वह न्यायालय में जो कह रही है उसे समझ रही है, न्यायालय ने उसका बयान अंकित किया। उसने बताया है कि उसे 100/- रुपये देकर ललचाया गया था, लेकिन उसने उसे लेने से इनकार कर दिया था और उसके बाद अभियुक्त द्वारा पीड़िता को जबरन ले जाया गया। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की, तो अभियुक्त ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की और फिर उसने बताया कि उसने उसका अंतःवस्त्र उतारने के बाद कुछ गलत करने की कोशिश की थी। उसने यह भी बताया कि वह दर्द के कारण चिल्लाई थी। हालांकि, कोई रक्त आदि नहीं था। जब वह चिल्लाई तो कोई नहीं आया, हालांकि बाद में उसकी माँ आ गई। उसने आगे बताया कि जब उसकी माँ आई तो कमलेश भाग गया। प्रति-परीक्षा में, वह अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए बयानों पर अडिग रही। हालांकि, उसने बताया था कि जब उसे ले जाया गया तो किसी ने नहीं देखा था और जब वह चिल्लाई तो उसकी माँ मौके पर आ गई और उसके बाद कमलेश भाग गया।

8- पी.डब्ल्यू.-3 श्रीमती विद्यावती पीड़िता की माँ हैं। उन्होंने भी लगभग वही तथ्य बताए जो उनके पति अर्थात् पीड़िता के पिता द्वारा बताए गए थे। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने कमलेश को पीड़िता को ले जाते हुए देखा था और उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अभियुक्त को घटना स्थल से भागते हुए देखा था। उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षा में बताया था कि उन्होंने अभियुक्त को पीड़िता के साथ लगभग 15 फीट की दूरी से देखा था और वह काली मंदिर के पीछे बाजरे के खेत में था। वह अपनी बेटी की चीखें सुनकर मौके पर दौड़ी थी।

9- पी.डब्ल्यू.-4 सुभाष जी वर्मा विवेचना अधिकारी थे, जिन्होंने बताया था कि वह 28.5.2012 को थाना अहिरोली बाजार जनपद-कुशीनगर के उप-निरीक्षक थे और उन्होंने अंतःवस्त्र बरामद किया था और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। अपनी प्रति-परीक्षा में उन्होंने बताया है कि उन्होंने पीड़िता की माँ का बयान लिया था। जब इस अभियोजन साक्षी को 18.9.2015 को पुनः न्यायालय में बुलाया गया, तो उन्होंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बारे में बताया और बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रति-परीक्षा में उन्होंने उस तरीके के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था।

10- पी.डब्ल्यू.-5 शंभू नाथ हैं, जो हेड कांस्टेबल हैं, जिन्होंने चिक तैयार की थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11- पी.डब्ल्यू.-6 डॉ. निशांत आब्दी हैं, जिन्होंने 30.6.2012 को दोपहर 1:45 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहली बार पीड़िता का परीक्षण किया था और उन्होंने बताया था कि चिकित्सा परीक्षण के समय उन्हें कोई बाहरी चोट नहीं मिली थी। उन्होंने केवल यह पाया कि हाइमन खिंचा हुआ, लालिमायुक्त और पतला था। उन्होंने यह भी बताया कि योनि में उंगली का अग्रभाग भी प्रवेश नहीं कराया जा सका और पीड़िता सहयोग नहीं कर रही थी। पीड़िता की आयु के निर्धारण के लिए उसे एक्स-रे के लिए भेजा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि पैथोलॉजी रिपोर्ट से पीड़िता के निजी अंगों पर कोई शुक्राणु नहीं पाया गया था। हालांकि, उन्होंने बताया कि चूंकि हाइमन खिंचा हुआ, लालिमायुक्त और पतला था, इसलिए बलात्कार करने का पूरा प्रयास किया गया था। प्रति-परीक्षा में उन्होंने बताया कि घटना के बाद लालिमा 5 से 6 घंटे तक बनी रहती है।

12- पी.डब्ल्यू.-7 डॉ. अब्दुल कलाम, पैथोलॉजिस्ट जिला अस्पताल, कुशीनगर ने योनि स्मीयर का पैथोलॉजी परीक्षण किया था और पाया था कि वहां कोई शुक्राणु मौजूद नहीं था।

13- पी.डब्ल्यू.-8 देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी 30.6.2012 को संबंधित थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और वह नक्शा-नजरी तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे और उनके सामने अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया था।

14- अभियुक्त से धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत पूछताछ की गई। उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और बताया था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वाद का विचारण किया गया और उसके बाद जब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी., कुशीनगर स्थित पडरौना ने 18.1.2016 को अभियुक्त को धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास; धारा 366 भा.द.सं. के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास; और धारा 376(2)(एफ) भा.द.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास और 50,000/- रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में 12 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई और यह निर्देशित किया गया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, तब वर्तमान आपराधिक अपील दायर की गई थी।

15- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि यदि चिकित्सा परीक्षण देखा जाए तो पीड़िता के बाहरी/निजी अंगों पर बिल्कुल भी कोई चोट नहीं है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया कि यदि हाइमन खिंचा हुआ, लालिमायुक्त और पतला था, तो यह घटना के लगभग 12 घंटे बाद पाया गया था और लालिमा घटना के केवल 5 से 6 घंटे तक ही बनी रह सकती थी। इसके पश्चात उन्होंने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि विभिन्न साक्षियों ने अंतःवस्त्र के रंग को अलग-अलग रूप में मरून, सफेद और लाल बताया था।

16- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पारिख के आयुर्विज्ञान न्यायशास्त्र के पृष्ठ 413 पर भरोसा किया और तर्क प्रस्तुत किया कि छोटे बच्चों में जब योनि बहुत छोटी होती है और हाइमन गहराई में स्थित होता है, तो वयस्क लिंग उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है और ऐसे स्थिति में जहां किसी पुरुष का अंग जबरन डाला जा सकता है, वहां योनि की गुहा फट सकती है और संबंधित आंतरिक अंगों की चोटें हो सकती हैं।

17- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मोदी के आयुर्विज्ञान न्यायशास्त्र पर भी भरोसा किया और तर्क प्रस्तुत किया कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों में, योनि का छिद्र आमतौर पर इतना छोटा होता है कि वह हाइमन के माध्यम से छोटी उंगली को भी मुश्किल से जाने देता है। उन्होंने आयुर्विज्ञान न्यायशास्त्र का बहुत ही स्पष्ट रूप से संदर्भ दिया है और बताया है कि छोटे बच्चों में हाइमन आमतौर पर नहीं फटता है, लेकिन लेबिया की सूजन और नील के साथ लाल और संकुलित हो सकता है।

18- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन साक्षियों के विभिन्न विरोधाभासों का संदर्भ दिया है जिसमें उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि यद्यपि पिता ने बताया था कि जब पीड़िता को ले जाया जा रहा था तब किसी ने नहीं देखा था, वहीं माँ बता रही थी कि उसने पीड़िता को ले जाते हुए देखा था।

19- हालांकि, विद्वान एजीए ने अपील का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि वर्तमान वाद में एक बाल पीड़िता की गवाही है, जिसने पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में न्यायालय के समक्ष गवाही दी थी और बाल साक्षी पर अविश्वास करना एक बहुत ही कठिन प्रस्ताव था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया था कि बाल साक्षी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उसे वास्तव में अभियुक्त द्वारा उठाया गया था और उसके बाद बाजरे के खेत में ले जाया गया, जहाँ उसके साथ गंदा काम किया गया। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि भले ही बलात्कार का पूर्ण कृत्य न किया गया हो लेकिन निश्चित रूप से एक प्रयास किया गया था और जब डॉक्टर ने प्रस्तुत किया कि हाइमन खिंचा हुआ,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लालिमायुक्त और पतला था, तो निश्चित रूप से पीड़िता पर अपराध किया गया था और यदि अपराध नहीं किया गया था तो कम से कम बलात्कार का प्रयास किया गया था।

20- विद्वान एजीए का तर्क है कि यदि छोटे-मोटे विरोधाभास थे जैसे कि वे जिन्हें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रेखांकित किया गया है कि इस तथ्य के संबंध में विरोधाभास थे कि अभियुक्त को पीड़िता की माँ द्वारा देखा गया था या नहीं, तो वे तब गौण हो जाते हैं जब स्वयं पीड़िता, जो एक छोटी बच्ची है, न्यायालय में आती है और गवाही देती है। साथ ही, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि विभिन्न साक्षियों द्वारा वस्त्रों के रंग का उल्लेख अलग-अलग किया जा रहा था तो भी वाद प्रभावित नहीं होगा। छोटे-मोटे विरोधाभासों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए जिन्हें ग्रामीण न्यायालय में वास्तव में गवाही देते समय याद नहीं रख सकते। हालांकि, वह इस तथ्य पर बहुत जोर देते हैं कि एक बाल साक्षी ने न्यायालय में गवाही दी थी और इसलिए बाल साक्षी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता था। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि जैसा कि पाया गया अंतःवस्त्र पर निश्चित रूप से शुक्राणु मौजूद थे और वास्तव में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी बताती है कि अंतःवस्त्र पर शुक्राणु मौजूद थे।

21- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार कुशवाहा और सुश्री पूजा और विद्वान एजीए श्री अमित सिन्हा को सुनने के उपरांत, हमारा यह विचार है कि एक बाल साक्षी की गवाही, जिसकी आयु घटना के समय 6 वर्ष थी और न्यायालय में गवाही देते समय 7 वर्ष थी, को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमारा यह भी विचार है कि अभियोजन द्वारा लिया गया प्रकरण विधि विज्ञान प्रयोगशाला के परिणाम से पुष्ट होता है, जिसमें कहा गया था कि वस्त्र पर शुक्राणु मौजूद थे।

22- जहाँ तक घटना के समय, स्थान और घटित होने का प्रश्न है, हमारा निश्चित रूप से यह विचार है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी भी तरह से इस पर आक्षेप नहीं किया गया है। इस प्रकार, जब हम पाते हैं कि पी.डब्ल्यू.-2, जो एक बाल साक्षी थी, के बयान को खारिज नहीं किया जा रहा है, तो हमारा निश्चित विचार है कि अभियुक्त अपराध कारित करने के प्रयास का दोषी था।

23- जहाँ तक धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध का प्रश्न है, हमारा पुनः यह विचार है कि वह घटित हुआ था क्योंकि नाबालिग बच्ची को उसके विधिक संरक्षकों के कब्जे से ले जाया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था। हालांकि, हमारा निश्चित रूप से यह विचार है कि धारा 366 भा.द.सं. के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता था क्योंकि धारा 366 भा.द.सं. के घटक अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होते हैं। यह पाए जाने पर कि धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध बनता था और बलात्कार का अपराध कारित करने का प्रयास भी किया गया था, हमारा विचार है कि अपीलार्थी बच्चे का अपहरण करने और बलात्कार का प्रयास करने का भी दोषी था। घटना वर्ष 2012 की है और बलात्कार की परिभाषा जैसी कि वह आज है, 3.2.2013 को संशोधित की गई थी।

24- अतः हमारा यह विचार है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी., कुशीनगर स्थित पडरौना न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.1.2016 को इस सीमा तक संशोधित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त को अब धारा 363 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध और बलात्कार का प्रयास करने के अपराध के लिए दोषी माना जाएगा।

25- जहाँ तक सजा के भाग का प्रश्न है, अपीलार्थी को धारा 363 के अंतर्गत अपराध के लिए 7 वर्ष के लिए दंडित किया जाए और धारा 376/511 के अंतर्गत अपराध के लिए उसे 10 वर्ष के दण्ड के साथ दंडित किया जाए। पहले से भुगती गई कारावास की अवधि को भी समायोजित किया जाए।

26- पीड़िता को मुआवजे के रूप में 55,000/- रुपये का भुगतान छह माह की अवधि के भीतर किया जाए। यदि इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और पीड़िता को भुगतान किया जाएगा।

27- आपराधिक अपील इस प्रकार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

28- कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह यथाशीघ्र विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस करे और इस निर्णय को भी विचारण न्यायालय को अधिसूचित करे।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-1) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

6 फरवरी, 2026

पी.के.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।